न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 15/2024 बउनवानी देवीलाल बैरवा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर पुत्र सुखलाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा, सवाईमाधोपुर **GCMS No-2024/50**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
29.5.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 23.2.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के कार्यालय पत्र कमांक आरए/06/70/दिनांक 24.1.2024 द्वारा आपको पत्र प्रेषित कर सुन्दर लाल बनाम सरकार मु.नं. 19/23 प्रार्थना पत्र 136 के तहत संलग्न प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की जॉच कर राजस्व रिकार्ड नक्शा एवं मौके से करवायी जाकर तथ्यात्मक टिप्पणी के साथ दिनांक 5.2.2024 की आवश्यक रूप से चाही गयी थी। उक्त दस्ती मे आपके द्वारा भेजी गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक:/आरटीआई/2024/328 दिनांक 28.5.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 23.2.2024 के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार सावाईमाधोपुर के पत्रांक/एलआर/2023/316 दिनांक 30.4.2024 से भिजवायी गयी है जो अपीलान्ट के पोत्र द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु पावती रसीद भी जवाब के साथ संलग्न की गयी है। चूंकि चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.2.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना, तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 316 दिनांक 30.4.2024 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी गयी सूचना पर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय मे कोई आपत्ति नही की है। ऐसी स्थिति में अपील खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:09:01 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner